न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 88/2021

प्रार्थी — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी

01. राज श्री पुत्री शम्भुदान जी पत्नी विक्रमसिंह जी जाति चारण निवासी सिंधी की दुकान के सामने, Badganw Bangaor (Rural) Badgaon उदयपुर हाल निवासी C/o भंवरसिंह जी चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

01. शम्भुदान पुत्र स्व. श्री मोड़दान
02. संजयसिंह पुत्र शम्भुदान
03. जीवराजसिंह पुत्र शम्भुदान जातियान चारण निवासीगण घोसीवाड़ा सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
04. उषाकंवर पुत्री शम्भुदान पत्नी प्रवीणसिंह जाति चारण निवासी झांकर तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही राजस्थान
05. प्रकाशकंवर पुत्री शम्भुदान पत्नी हुकमसिंह जाति चारण निवासी सोजतसिटी हाल निवासी बस्सी तहसील रोहट जिला पाली
06. प्रेमकंवर पत्नी शम्भुदान जाति चारण निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली
07. सीमा पत्नी संजयसिंह जाति चारण निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली
08. बबीता ओझा पत्नी संजय ओझा जाति श्रीमाली ब्राहमण निवासी कण्टालिया हाल निवासी हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली
09. केसरीमल पी.एम. पुत्र मांगीलाल जी जाति सिरवी निवासी सियाट तहसील सोजत हाल निवासी Old N 9 New N. 21 PANAGAL STREET THIRUVALLUR T.N. 602001
10. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजतसिटी तहसील सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री किशनसोनी, श्री ताराचन्द टांक अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 11/12/2023

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में आयी हुई है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 1036 खसरा नबंर 1298 रकबा 0.0200 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 1299 रकबा 0.1500 हैक्टर गैर मुमकिन सड़ा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.1700 हैक्टर, खाता संख्या 1037 के खसरा नबंर 1296 रकबा 0.3280 हैक्टर, जाव,दोयम, खाता संख्या 2053 के खसरा नबंर 1306 रकबा 1.9000 हैक्टर मेहन्दी, खसरा नबंर 1327

अधिकारी, सोजत (राज.)

रकबा 0.6500 हैक्टर मेहन्दी, खसरा नवंर 1328 रकबा 0.3100 हैक्टर मेहन्दी, खसरा नबंर 1350 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नवंर 1393 रकबा 1.5900 हैक्टर मेहन्दी कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.1800 हैक्टर की आयी हुई है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 हिन्दू विधि से शासित है तथा अप्रार्थी संख्या 6 से 9 तक भी हिन्दू विधि से शासित ही है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 9 के नाम उक्त वादस्थ कृषि भूमि विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया को उनके हक हिस्से से वंचित करने के आशय से वादस्थ कृषि भूमि के खातेदार को परिवर्तित करने एवं पुश्तैनी सम्पति को स्वयं की अर्जित सम्पति होना बताने के आश्य से विधि विरूद्ध दस्तावेजात वक्सीसनामा, व बेचाननामा गठित किये गये है। जिन्हें पक्षकार अप्रार्थी बनाये गये है। वादस्थ कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के पिता शम्भुदान के नाम से चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा स्वर्गीय मोड़दान के निधन के पश्चात उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 शम्भुदान के नाम खातेदारी पैतृक विरासती सहदायिक के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तथा प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जबकि उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता है। अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थीया की माता है तथा अप्रार्थी संख्या 7 प्रार्थीया के भाई अप्रार्थी संख्या 2 संजयसिंह की पत्नी है अर्थात सभी एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया के दादा मोड़दान जी का स्वर्गवास वर्ष 1996 में प्रार्थीया के जीवनकाल में हुआ है। प्रार्थीया का जन्म मोड़दान जी के जीवनकाल में हो जाने से वादस्थ पैतृक आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीया का बाई बर्थ हक एवं अधिकार उत्पन्न हुए है। खसरा नबंर 1298 व 1299 में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हक हिस्सा, खसरा नबंर 1296 में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज सुदा है तथा खसरा नबंर 1306, 1327, 1328, 1350, 1393 सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज सुदा है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया के पिता अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान होने से काबिज काश्त है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने से एवं प्रार्थीया का जन्म मोड़दान जी के जीवनकाल में हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व अधिकार उत्पन्न होते है।

प्रार्थीया के दादा मोड़दान का देहान्त वर्ष 1996 में हो चुका है, तथा मोड़दान जी के अन्य वारिसान के द्वारा दिनांक 25/6/1997 के अपने समस्त हक व अधिकार का शम्भुदान के पक्ष में तर्क कर दिये है। जिससे मोड़दान के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 शम्भुदान प्रार्थीया के पिता के नाम उक्त कृषि भूमि दर्ज की गई है। उक्त वादस्थ सम्पति के खसरा नबंर 1298 व 1299 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.1700 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज सुदा है, जिसमें प्रार्थीया का 1/8 का 1/6 यानि 1/48 हक हिस्सा एवं खसरा नबंर 1296 रकबा 0.3200 हैक्टर है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा का 1/6 हक हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/24 हिस्सा कानूनन बनता है तथा खसरा नबंर 1306, 1327, 1328, 1350, 1393 कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.1800 हैक्टर में प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा बनता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा कानूनन बनता हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया का मोड़दान जी के जीवनकाल में जन्म हो जाने से प्रार्थीया का वादस्थ कृषि भूमि में बाई बर्थ हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थीया वादस्थ सम्पति में दर्ज अपने पिता के हिस्से का 1/6 हक हिस्से की खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को उनके हक हिस्से की वादस्थ सम्पति से विमुख (बेदखल) करने के आशय से दिनांक 03/10/2022 को बाले बाले प्रार्थीया को बताये बिना एवं प्रार्थीया की सहमति लिये बिना अप्रार्थी संख्या 2 संजयसिंह के पक्ष में खसरा नबंर 1306 रकबा 1.2100 हैक्टर का बक्सीसनामा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया के हक हिस्से सहित करवा दिया तथा दिनांक 03/10/2022 को खसरा नबंर 1393 रकबा 1.5900 हैक्टर का बक्सीसनामा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया के हक हिस्से सहित करवा दिया, जो बक्सीसनामा प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नबंर 1298 व 1299 सम्पूर्ण 1/8 हक हिस्से का बक्सीसनामा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया के हक हिस्से सहित दिनांक 03/10/2022 को बक्सीसनामा निष्पादित करवा दिया, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के कोई हक व अधिकार नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए खसरा नबंर 1328 रकबा 0.3100 हैक्टर का

बक्सीसनामा दिनांक 03/10/2022 को उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 06 के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया के हक हिस्से सहित निष्पादित करवा दिया, जो प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 1350 रकबा 0.7300 हैक्टर का बक्सीसनामा दिनांक 03/10/202 को अप्रार्थी संख्या 7 जो अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी है, के पक्ष में निष्पादित करवा दिया, जो प्रार्थीया के हक हिस्से सहित का बक्सीसनामा निष्पादित करवाया गया, जो प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य व अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 1327 रकबा 0.6500 हैक्टर का बक्सीसनामा अप्रार्थी संख्या 2 संजयसिंह एवं अप्रार्थी संख्या 3 जीवराजसिंह के पक्ष में दिनांक 03/10/2022 को निष्पादित करवाया गया है, जो प्रार्थीया के हक हिस्से सहित किया गया है, जो प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 1306 रकबा 1.7800 हैक्टर में से 0.5700 हैक्टर कृषि भूमि का बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के पक्ष में प्रार्थीया के हक हिस्से सहित कृषि भूमि का दिनांक 03/10/2022 को निष्पादित करवा दिया, जो बेचाननामा प्रार्थीया के हक हिस्से की हद तक प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीया के हक हिस्से का बक्सीसनामा एवं बेचाननामा निष्पादित करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही था। वादस्थ सम्पति में अप्रार्थी संख्या 1 का दर्ज हिस्सा का 1/6 हिस्सा की हद तक ही बक्सीसनामा एवं बेचाननामा निष्पादित करने का हक अधिकार था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के हक हिस्से सहित कृषि भूमि का बक्सीसनामा एवं बेचाननामा कर देने से प्रार्थीया के हक एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तथा प्रार्थीया को भारी अपूर्णिय क्षति हो रही है यदि आग से आगे और बेचान हस्तानान्तरण कर देते है तो प्रार्थीया को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। उक्त बक्सीसनामे एवं बेचाननामे के आधार पर प्रार्थीया के उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा करना शुरू कर दिया है। तथा उक्त अवैध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमदा है। प्रार्थीया का वादस्थ सम्पति में बाई वर्थ हक एवं अधिकार निहित है। जिससे प्रार्थीया अपने हक हिस्से की खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। वादस्थ आराजी कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। जिसमें प्रार्थीया का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थीया को उनके हक हिस्से से महरूम करने के आश्य से बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त अवैध बक्सीसनामा एवं बेचाननामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को नही रोका जाता है तो प्रार्थीया को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर ताफैसला प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बेचान हस्तान्तरण व बक्सीस, रहन व वसीयत करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 6 से 9 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने उपरोक्त अनवान प्रकरण का मूल वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादस्थ भूमियां प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की भूमियां हो यह गलत है तथा यह भी गलत है कि यह वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमियां हो, चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीनी का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में न तो किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा है, एवं न ही उस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है। यह सही है कि वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले के रेकर्डेड खातेदार की कृषि भूमि थी, यह भी सही है कि वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री मोड़दान जी के देहान्त के बाद फौतेदगी नामान्तरणकरण संख्या 725 दिनांक 02/8/1997 के जरिये दर्ज किया गया। जिसमें मोडदान जी की पुत्रियां जडावकंवर, दरियाकंवर, मनुकंवर की शादियां हो चुकी है, जो अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर निवास करती है, तथा उन्हें वादस्थ कृषि भूमि में जो हक हिस्सा प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से को रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 25/6/1997 के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। अतः वाद व प्रार्थना पत्र में यह कहना सर्वथा गलत है कि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपरोक्त सम्पति किसी भी तरह से पैतृक हो। यह सही है कि वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले के रेकर्डेड खातेदार की कृषि भूमि थी, जो उनकी स्वअर्जित है, यह भी सही है कि वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री मोड़दान जी के देहान्त के बाद बहिनों द्वारा हकत्तर्क करने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरणकरण के जरिये दर्ज किया गया, किन्तु यह सर्वथा गलत है कि उपरोक्त वादरथ भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक विरासत, सहदायकी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई हो। यह भी गलत है कि यह भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में पैतृक विरासत सहदायकी सम्पति होने से इन्द्राज की गई हो। वास्तविकता में वादरथ भूमियां सर्वप्रथम श्री मोडदान जी के नाम पर ही खातेदारी में दर्ज हुई थी, श्री मोड़दान जी के पिता कभी भी इन वादग्रस्त भूमियों पर किसी भी हैसियत से काबिज नही हुए थे, न ही मोड़दान जी के पिता का इन वादग्रस्त भूमियों में कभी कोई हक व हित व कब्जा कभी निहित ही रहा था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां सर्वप्रथम मोड़दान जी के नाम की खातेदारी की हैसियत से रेकर्ड में दर्ज हुई एवं सर्वप्रथम इन भूमियों पर मोड़दान जी ही काबिज हुए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पक्षकारान शासित होते है, यह विधिक स्थिति प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में सही लिखी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जब मोडदान जी सर्वप्रथम इन वादरथ भूमियों के खातेदार काश्तकार हुए, एवं उनका देहान्त होते ही धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी की अनुसूची 1 के अनुसार यह भूमियां मोड़दान जी के पुत्र शम्भुदान अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 एवं मोड़दान जी की पुत्रियों एवं पत्नी में पूर्णतः एवं स्वतंत्र रूप से (एक्सीजेटली) निहित हो गयी। चूकि प्रार्थीनी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 वाद प्रस्तुत करते समय एवं आज तक जीवित है, जिनके जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 के किसी भी वारिस का एवं मोड़दान जी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा या क्लेम विधिनुसार नही हो सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 मृत्यु के उपरान्त ही प्रभावी होती है। अभी तक तो प्रार्थीया के पिता यानि अप्रार्थी संख्या 1 जीवित है तो प्रार्थीया कैसे हिस्सा मांग सकती है। सहदायकी की सम्पति धारा 6 के अनुसार डीवोलव होती है, धारा 8 टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार मात्र है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आती है। जैसा कि वर्ष 2020 आर.बी.जे. (एस.सी) पेज नबंर 337, (2016) डीएनजे (1)(एस.सी) पेज नबंर 2058 में विधिक सिद्धान्त पारित किये गये है। अतः विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना में प्रार्थीया में सहदायकी का वादाधिकार विद्यमान नही होने से तथा न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ति निर्णय विधि मान्य होने से किसी भी प्रकार का स्थगन प्रदत किये जाने योग्य नही है। स्पष्टतः प्रार्थीया के पिता के जीवित रहते हुए उसे वाद करने का कोई लोकस है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा देय नही होने से इस स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। इस बिन्दु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1986 व 1987 में पारित अपने दो न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट कर दिया है कि "दादा की एकल स्वामित्व की जायदाद में दादा के पुत्र/पुत्रीयों के जीवित होते हुए उनके पौत्र एवं पौत्रियों या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई हक अधिकार नही हो सकता है। जिसके तहत भी प्रार्थीनी का उक्त वाद आधारहीन होने से खारिज योग्य है।" एवं प्रार्थीनी को यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वादकारण ही पैदा नही हुआ है क्योकि श्रीमान के न्यायालय में इन सभी पक्षकारों एवं उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पहले से ही एक मुकदमा संख्या 186/2011 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 150/2011 बअनवान प्रकाश कंवर बनाम शम्भुदान वगैरा असिस्टेन्ट कलेक्टर सोजत के न्यायालय में पेश किया, जिसमें मूल वाद आज भी लम्बित है, तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 150/2011 का फेसला दिनांक 09/01/2011 को श्रीमान न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज गया किया है। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर ने प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 04/2013 बअनवान प्रकाशकंवर बनाम शम्भुदान वगैरा है, जिसमें आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर प्रकाशकंवर द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 27/9/2022 को अस्वीकार कर खारिज की है। जिसकी निगरानी अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो निगरानी आज भी विचाराधीन है। जिसमें भी किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश या मूल वाद में कार्यवाही रोकने का कोई स्थगन आदेश पारित नही किया हुआ है। जिसमें वाद में प्रार्थीया पक्षकार है तथा वादरथ भूमि व वाद में संबंधित तमाम तथ्यों से अवगत है, इसलिए प्रार्थीनी को उक्त वाद लाने का कोई अधिकार विधिक रूप से नही है। उक्त भूमि किसी तरह से पैतृक भूमि की परिभाषा में नही आती है। प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सहित सभी एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है। बल्कि वे सद्भाविक क्रेता है, इसलिए सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। यह सही है कि मोडदान जी का देहान्त वर्ष 1996 में हुआ, किन्तु यह सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक विरासत में अप्रार्थीगण संख्या 1 को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के पिता शम्भुदान उपरोक्त कृषि भूमि पर अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान की हैसियत से काबिज नही है। अपितु स्वअर्जित सम्पति होने से व रेकर्डेड खातेदार होने के कारण उपरोक्त सम्पति पर काबिज काश्त थे। शेष सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात या उसके किसी भी हिस्से में कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग आज तक नही रहा है। यह सर्वथा गलत है कि सजरा खानदान प्रार्थीया का संयुक्त परिवार का सजरा हो। अलबत्ता इस पद में वर्णित श्री जयसिंह लाऔलाद फौत हो गये। इसलिए उनका हक हिस्सा उनकी माता, भाई अप्रार्थी संख्या 1 एवं बहिनों में निहित हो गया। श्रीमती जडावकंवर, दरियाकंवर व मनुकंवर पुत्रियां श्री मोडदान जी की शादियां हो चुकी है, जो सभी अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग जगहों पर निवास करती आ रही है एवं जडावकंवर, दरियाकंवर, मनोहरकंवर उर्फ मनुकंवर ने मोडदान जी की पुत्रियां एवं पत्नी सुगनकंवर होने के कारण जो हिस्सा इन वादग्रस्त जायदाद में उन्हें प्राप्त हुआ, उसके बाबत इन्होंने एक पंजीबद्ध हकतर्कनामा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निष्पादित कर दिया एवं इस प्रकार प्रार्थीया भी अपने ससुराल में रहवास करती है, जिसके विवाह को भी लगभग 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है। इस प्रकार अप्रार्थीया संख्या 4 व 5 की भी शादियां हो चुकी है, जो वक्त विवाह से अपने अपने ससुराल में निवास करती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा इस पद में यह लिखना सर्वथा प्रार्थीया की बदनियति दर्शाता है कि मोडदान जी का परिवार संयुक्त परिवार हो, अथवा प्रार्थीया का इस पद में वर्णित सजरे के अनुसार संयुक्त परिवार हो। प्रार्थीया स्वयं यह स्पष्ट अभिवचन लेकर उपस्थित हुई है कि वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीया के दादा मोडदान जी के खातेदारी की थी, एवं उनके देहान्त के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व मोडदान जी के पुत्रियों के नाम खाते में दर्ज किये गये, ऐसी स्थिति में विधिनुसार दादा की जायदाद में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के पिता के जीवित रहते हुए प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा इस वादग्रस्त जायदाद में नही हो सकता है। हकतर्कनामा अवश्य ही मोडदान जी की पुत्रियों द्वारा लिखा गया है, जिसे प्रार्थीया स्वयं ने स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद में प्रार्थीया राजश्री उर्फ राजकंवर बतौर अप्रार्थी संख्या 5 संयोजित है और उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था और यदि प्रार्थीया उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करना चाहती थी तो उसी वाद में अपना जवाबदावा व काउण्टर वाद प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसने सभी परिवार वालों के साथ अपना जवाब प्रकाशकंवर द्वारा प्रस्तुत वाद में उसके विरूद्ध प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थीया उक्त वाद लाने से आज विबंध के सिद्धान्त से एस्टोप्ड है तथा अब राजश्री उर्फ राजकंवर ने पूर्व वाद की वादीया प्रकाशकंवर के साथ मिलावट व दुर्भिसंधि कर उन्हीं खसरा नबरान व उन्हीं पक्षकारान के विरूद्ध यह झूठा वाद श्रीमान के समक्ष गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पुनः पेश करवाया है। जबकि पूर्व वाद आज भी श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया राजश्री उर्फ राजकंवर बतौर अप्रार्थी संख्या 5 संयोजित है और उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था और उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करना चाहती थी तो उसी समय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसने सभी परिवार वालों के साथ अपना जवाब प्रकाशकंवर के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। तथा अब राजश्री उर्फ राजकंवर ने पूर्व वाद की वादीया प्रकाशकंवर के साथ मिलावट व दुर्भिसंधि कर उन्हीं खसरा नबरान व उन्हीं पक्षकारान के विरूद्ध यह वाद श्रीमान के समक्ष गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पुनः पेश करवाया है। यदि प्रार्थीया राजश्री उक्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा मानती या मांगती तो उसके पिता ने जब श्रीमान न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन मुकदमा संख्या 150/2011 में दिनांक 09/1/2013 के निर्णय के बाद प्रतिवादी संख्या 1 शम्भुसिंह ने अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 संजयसिंह के पक्ष में जब दिनांक 09/1/2014 को रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयन कार्यालय सोजत में पंजीबद्ध करवायी, रजिस्टर्ड वसीयत की सहमति में प्रार्थीया स्वयं राजश्री उर्फ राजकंवर व अप्रार्थी संख्या 3 जीवराजसिंह, 4 उमाकंवर व 6 प्रेमकंवर ने वादस्थ सम्पति को शम्भुसिंह की स्वअर्जित सम्पति मानते हुए उक्त वसीयत को स्वीकार करते हुए अपनी अलग से सहमति प्रदान की, जिससे भी प्रार्थीया राजश्री विबंध के सिद्धान्तों से एस्टोप्ड है। जिससे भी यह साबित है कि प्रार्थीया स्वयं को दिनांक 12/02/2014 से पूर्व से यह जानकारी है कि उक्त कृषि भूमि में उसका कोई हक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हिस्सा नही है, जिस तथ्यों के आधार पर पूर्व के वाद में प्रार्थीया स्वयं द्वारा अपना कोई हक हिस्सा नही होना स्वीकार किया है, जिससे भी प्रार्थीया की मंशा स्पष्ट है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया प्रकाशकंवर कपट और दुर्भीसंधि करते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए दुबारा पूर्व वाद के लम्बित होते हुए उन्ही तथ्यों पर प्रकाशकंवर को प्रतिवादी संयोजित करते हुए उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया अपने ससुराल में निवासित रही है और अब उक्त प्रकरण प्रकाशकंवर की सिखावट में आकर अपने पिता को हैरान व परेशान करने से यह वाद पेश किया है, इसलिए यह विधि का सर्वविदित सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है, तथा उपरोक्त पक्षकारान तथा इन्ही तथ्यों पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि बाबत निर्णय पूर्व में पारित किये जा चुके है, और अब उक्त प्रकरण में यदि किसी भी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आदेश पारित किये जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा, तथा प्रार्थीया द्वारा अब यह कहना सर्वथा गलत है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों आवश्यक तत्त्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में विद्यमान है, वरण उपरोक्त झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से उपरोक्त तीनों आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति, अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से स्थगन देय नही होना चाहिए। अतः सम्पूर्ण पैरा गलत व झूठे तथ्यों के आधार प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में खसरा नबंर 1306 के खातेदार दशरथसिंह व दिलीपदान पीसरान राणीदास जातियान चारण निवासीगण रेपड़ावास को जानबूझकर छोड़कर शेष सभी पक्षकारान को वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है, जबकि उक्त खसरा में सहखातेदार है। जिससे प्रार्थीया द्वारा खातेदार दशरथसिंह व दिलीपसिंह को पक्षकार संयोजित नही करने से विधिनुसार कुसंयोजन की श्रेणी में आता है और प्रकरण प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है, जिनका वादस्थ कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है और प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही बनता है और न ही प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है, यदि अप्रार्थीगण के कब्जे में प्रार्थीया दखल अन्दाजी कारित करती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। वास्तव में प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र व मूल वाद अन्य लोगों की मिलावट कर गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी तथ्य बनावटी रूप से लिखे गये है। सम्पूर्ण वादग्रस्त जायदाद में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 व 10 को छोड़कर बहैसियत रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है, जिस पर प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा या कब्जा नही है, यह सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच में कोई वार्तालाप हुई हो, यह भी गलत है कि प्रार्थीया का उक्त जायदाद में जन्म से या किसी प्रकार से कोई हक अधिकार हो, यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति को अन्तरण करने पर कोई कानूनी प्रतिबंधित हो, अपितु अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त सम्पति के हस्तानान्तरण वगैरा का विधिक अधिकार होने से प्रार्थीया को कोई क्षति होने का अंदेशा नही है तथा प्रार्थीया किसी प्रकार की घोषणा इस वाद के जरिये करवाने की अधिकारिणी नही है और न ही व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है। घोषणात्मक वाद में समस्त खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है, तथा अन्य रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार संयोजित किये बिना ही उक्त वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 प्रार्थीया से संबंध है, मगर उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन ठोस आधार पर होने से अनुतोष प्राप्ति योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 सही है। वादस्थ सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थीया के पूर्वज दादा स्वर्गीय मोड़दान जी की खातेदारी हिस्से व कब्जा काश्त की थी। चूंकि दादाजी के जीवनकाल में ही अप्रार्थी संख्या 2 का जन्म हो चुका था, जिसका वादस्थ सम्पूर्ण पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि में उसका भी प्रार्थीया के साथ हक हिस्सा बनता है। वह संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सदस्य है। खाता संख्या 1036 में 1/48 हिस्सा खसरा नबंर 1037 में 1/24 हिस्सा व खाता संख्या 2053 में मुझ अप्रार्थीया का 1/6 हिस्सा संयुक्त परिवार की सदस्या होने के नामे बनता है। जिसकी वह वैधानिक रूप से हकदार है। संयुक्त पैतृक कब्जा काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि की वैध

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

खातेदार होती है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीया के पिता है, जिनका संयुक्त पैतृक वादस्थ भूमि में अप्रार्थीया के साथ बराबर–बराबर बनता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के पिता, पुत्र पुत्रियां है, जो हिन्दू विधि से शासित होने से संयुक्त पैतृक कृषि भूमि की समान रूप से हक हिस्सा की अधिकारिणी है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 स्व. मोडदान जी के जायन्दा पुत्र है अतः मोड़दान के स्वर्गवास के बाद उनके शेष वारिसान द्वारा अपना हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज करने पर वह उपरोक्त सम्पूर्ण वादस्थ पैतृक संयुक्त कृषि भूमि के खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए मगर उस समय मुझ अप्रार्थीया का जन्म होने से वह वैध हिस्सेदार है। प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्सा सही होने से स्वीकार है। वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त पैतृक अविभक्त होने से अप्रार्थीया का समान हक हिस्सा व कब्जा वैधानिक रूप से बनता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित स्वर्गीय मोड़दान की वंशावली सही है तथा यह भी सही है कि दादा मोड़दान जी का स्वर्गवास दिनांक 25/6/1997 को हो गया , मगर चूंकि अप्रार्थीया प्रार्थीया के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिका सदस्य है। अतः उसका प्रार्थीया के बराबर वादस्थ संयुक्त पैतृक भूमि में हक हिस्सा बनता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया तथा मुझ अप्रार्थीया के पिता है, जिन्होंने अपनी तमाम पुत्रियों को दादाजी की सम्पति में समान हिस्सा देने का वायदा किया था। अप्रार्थी संख्या 2, 3 तथा 6 की भी सहमति रही। अतः प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 5 अपने पिता के विश्वास में रही। शादी के वक्त भी वायदा करने पर आश्वस्त रही। बिना वैध बंटवाड़ा सहमति के ऐसी भूमि का हस्तानान्तरण विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीया तथा अप्रार्थीया को उसका हक हिस्सा देना नही चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण संयुक्त परिवार को साथ लेकर रहने का होता है। एक पिता के लिए सभी संतान पुत्र पुत्रियों समान होती है। सभी के साथ प्रेम, वात्सल्यता सामजस्यता बनाये रखना अप्रार्थी संख्या 1 व 6 का दायित्व बनता है। मगर वह अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 7 के दबाव प्रभाव में है। इसी वजह से परिवार में दूरी तनाव बढाने के आशय उपरोक्त अवैध बक्सीसनामा विक्रयपत्र निष्पादित किया जो पूर्णतः अवैध शून्य एवं प्रार्थीया एवं मुझ अप्रार्थीया के विरूद्ध अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा 6 व 7 उपरोक्त अवैध बक्सीसनामा विक्रय पत्र की आड में अवैध अकृषि योग्य निर्माण कर स्वरूप बदलने एवं तथा प्लाट बनाकर अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण पर उतारू है। जिसे रोका जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार जवाब मय मय शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीया मय प्रार्थीया ने जबाबुल जबाब पेश कर निवेदन किया कि वाद मे वर्णित संयुक्त हिन्दु परिवाद की सम्पति में प्रार्थीया का काननून हक एवं अधिकार है जो बाई बर्थ बनता है। अप्रार्थीगण के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से बेचान व बक्शीसनामा निष्पादित करवाया है जो बेअसर व शुन्य है। जबाव के पैरा संख्या 02 में अंकित तथ्यो अनुसार उक्त सम्पति पैतृक होना अपने आप में अप्रार्थीगण के कथनों से सबित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति होना बताया गया है किन्तु उपरोक्त पैरा में उक्त सम्पति मोडदान जी की होना स्वीकार कर रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त सम्पति स्वअर्जित नही कहा जा सकता है। जागीर एक्ट रिज्यूम कनेके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आनेसे जो काश्तकार थे उनको खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये। मोडदान जी को खातेदारी स्टेट गार्वमेन्ट से प्राप्त हुई या नही उसका उल्लेख ही किया है। सहदायिकों के उतरजीविता के आधार पर सम्पति न्यायगत होती है। अप्रार्थीगण ने मृत्यु के पश्चात धारा 06 प्रभावी होने के कथन किये है जबकि वर्ष 2005 के बाद हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 में संशोधन करने के बाद कानूनन स्पष्ट कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 05 प्रकाश कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया राजश्री उर्फ राजकंवर बतौर अप्रार्थी संख्या 05 संयोजित है और उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था। उस वाद में अपना जबाब दावा व काउण्टर वाद प्रस्तुत कर सकती थी लेकिन परिवार वालो के साथ जबाब दावा पेश किया है। इसलिए प्रार्थीया उक्त वाद लाने से आज विबंध के सिद्धान्त से एस्टोप्ड है। अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्य नये बताये है जबकि प्रार्थीया नेउक्त वाद में कभी भी अपने हक हिस्से का त्याग नही किया है। इस प्रकार जबाबुल जवाब पेश कर प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ प्रदान की जाने का निवेदन किया है।

बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 हिन्दू विधि से शासित है तथा अप्रार्थी संख्या 6 से 9 तक भी हिन्दू विधि से शासित ही है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 9 के नाम उक्त वादस्थ कृषि भूमि विधि विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

तरीके से प्रार्थीया को उनके हक हिस्से से वंचित करने के आशय से वादस्थ कृषि भूमि के खातेदार को परिवर्तित करने एवं पुश्तैनी सम्पति को स्वयं की अर्जित सम्पति होना बताने के आशय से विधि विरूद्ध दस्तावेजात बक्सीसनामा, व बेचाननामा गठित किये गये है। प्रार्थीया का जन्म मोड़दान जी के जीवनकाल में हो जाने से वादस्थ पैतृक आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीया का बाई बर्थ हक एवं अधिकार उत्पन्न हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 की मंशा साफतौर से प्रार्थीया को उनके हक हिस्से से वंचित करने एवं वादस्थ सम्पति से विमुख करने के आशय से किया गया है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक एवं अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिांक 03/10/2022 को अलग अलग बक्सीसनामा एवं बेचाननामा पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से सहित का विधि विरूद्ध तरीके से कर दिया। जिससे प्रार्थीया को अपने जायज हक एवं अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। उक्त बक्सीसनामे एवं बेचाननामे के आधार पर प्रार्थीया के उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा करना शुरू कर दिया है। तथा उक्त अवैध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थीया को उनके हक हिस्से से महरूम करने के आश्य से बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त अवैध बक्सीसनामा एवं बेचाननामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबद्ध करने की ईशतदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादस्थ भूमियां प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की भूमियां हो यह गलत है तथा यह भी गलत है कि यह वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमियां हो, चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीनी का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में न तो किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा है, एवं न ही उस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है। वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री मोड़दान जी के देहान्त के बाद फौतेदगी नामान्तरणकरण संख्या 725 दिनांक 02/8/1997 के जरिये दर्ज किया गया। यह गलत है कि यह भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में पैतृक विरासत सहदायकी सम्पति होने से इन्द्राज की गई हो। वास्तविकता में वादस्थ भूमियां सर्वप्रथम श्री मोड़दान जी के नाम पर ही खातेदारी में दर्ज हुई थी, श्री मोड़दान जी के पिता कभी भी इन वादग्रस्त भूमियों पर किसी भी हैसियत से काबिज नही हुए थे, न ही मोड़दान जी के पिता का इन वादग्रस्त भूमियों में कभी कोई हक व हित व कब्जा कभी निहित ही रहा था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां सर्वप्रथम मोड़दान जी के नाम की खातेदारी की हैसियत से रेकर्ड में दर्ज हुई एवं सर्वप्रथम इन भूमियों पर मोड़दान जी ही काबिज हुए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पक्षकारान शासित होते है। यह विधिक स्थिति प्रार्थीनी ने सही बताई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जब मोड़दान जी सर्वप्रथम इन वादस्थ भूमियों के खातेदार काश्तकार हुए, एवं उनका देहान्त होते ही धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी की अनुसूची 1 के अनुसार यह भूमियां मोड़दान जी के पुत्र शम्भुदान अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 एवं मोड़दान जी की पुत्रियों एवं पत्नी में पूर्णतः एवं स्वतंत्र रूप से (एक्सीजेटली) निहित हो गयी। चूकि प्रार्थीनी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 वाद प्रस्तुत करते समय एवं आज तक जीवित है, जिनके जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 के किसी भी वारिस का एवं मोड़दान जी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा या क्लेम विधिनुसार नही हो सकता है। न्यायालय में इन सभी पक्षकारों एवं उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पहले से ही एक मुकदमा संख्या 186/2011 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 150/2011 बअनवान प्रकाश कंवर बनाम शम्भुदान वगैरा असिस्टेन्ट कलेक्टर सोजत के न्यायालय में पेश किया, जिसमें मूल वाद आज भी लम्बित है, तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 150/2011 का फेसला दिनांक 09/01/2011 को श्रीमान न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज गया किया है। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर ने प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 04/2013 बअनवान प्रकाशकंवर बनाम शम्भुदान वगैरा है, जिसमें आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर प्रकाशकंवर द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 27/9/2022 को अस्वीकार कर खारिज की है। जिसकी निगरानी अप्रार्थी संख्या 5 प्रकाशकंवर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो निगरानी आज भी विचाराधीन है। चूकि इस प्रकरण के सम्बद्ध प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय निर्णित हो चुका है। तथा वर्तमान मे जैर अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचारधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईशतदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया स्वयं द्वारा दिनांक 12.02.2014 को सहमति पत्र जारी कर दिनांक 09.01.2014 को उप पंजीयन कार्यालय में की गई रजिस्टर्ड वसीयत में अपनी सहमति दी है। इसके अतिरिक्त इसी भूमि से संबंधित निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे जैर कार है। प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में गुणावगुण पर किया जायेगा। वर्तमान रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03, 06, से 09 वादग्रस्थ आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होना नही पाया जाता है। अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र वर्तमान परिपेक्ष्य मे पोषणीय नही पाये जाने से खारिज करना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 11/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)